झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — षोडश (मॉनसून) सत्र

संख्या-03 — बुधवार, दिनांक-24 जुलाई, 2019 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.21 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य श्री कुणाल षडंगी द्वारा वन कानून में संशोधन तथा माननीय सदस्य, श्री इरफान अंसारी द्वारा राज्य में बेराजगारी के कारण होनेवाले पलायन सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को आसन द्वारा नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया जिसपर भारी शोरगुल होने लगा और प्राय: सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे, **अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित की गयी।**

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया

2. आसन से सूचना:-

आसन द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों को सभा परिसर में आयोजित मध्या० भोजन में सादर आमंत्रित करते हुए उन्हें उपस्थित रहने हेतु अनुरोध किया गया,

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल ने आसन की अनुमति से हजारीबाग स्थित महेश्वरी परिवार में छ: सदस्यों की एक वर्ष पूर्व हुई मौत का मामला उठाया।

3. शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो द्वारा शून्यकाल की सूचना को पढ़ा हुआ माने जाने हेतु आसन से अनुरोध किया गया।

4. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री राज पलिवार द्वारा झारखाण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम-1953 की धारा-40(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2018 की अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

ii- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री राज पलिवार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 के उप धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्त्यिों का प्रयोग करते हुए कारखाना (झारखण्ड संशोधन) नियमावली, 2019 की अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी तथा

iii- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी भारत के संविधान की धारा-323(2) में किये गये प्रावधान के अधीन झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से

P.T.O. →

प्राप्त वित्तीय वर्ष-2016-17 (अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

5.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

i- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत आसन के निदेश से माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा युवा संस्कृति खेलकूद एंव पूस्तकालय विकास तथा सदाचार समिति का 15वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी तथा

ii- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत आसन के निदेश से माननीय सभापति, श्री अरुप चटर्जी द्वारा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का 75वाँ, 76वाँ एवं 77वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

6.विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019

माननीया मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, श्रीमती नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी द्वारा दिये गये संशोधन सभा द्वारा अस्वीकृत हुए एवं माननीय सदस्य, श्री योगेश्वर महतो द्वारा दिया गया संशोधन उनके द्वारा वापस लिया गया तदुपरांत विधेयक के खण्ड-02 से 17 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019''**सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ,

(ख) भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

माननीय मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से 06, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात्

P.T.O. →

"भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019" सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

7.सूचना:-

दिनांक-23.07.2019 से माननीय सदस्य, श्री शिवशंकर उराँव के प्रश्न संख्या-अ० सू०-02 की महत्ता को देखते हुए माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसे माननीय मंत्री द्वारा सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया गया इसके उपरांत सभा की कार्यवाही **गुरुवार, दिनांक-25 जुलाई, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न** तक के लिए स्थगित की गयी ।

महेन्द प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 24 जुलाई, 2019 ई०।